बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रंमाक / स्वा. / 2022 / 356

दिनांक 12/01/2022

(ए.आर.सी ई–निविदा सूचना 06.. 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp. rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा की कुल अनुमानित लागत:– 480.34 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रंमाक / स्वा. / 2022 / 356-60

दिनांक 12/01/2022

प्रतिलिपि:–

1. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
2. उप–महापौर महोदय, नगर निगम बीकानेर।
3. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन:–
   - एक मुख्य क्षेत्रीय दैनीक सामाचार पत्र में।
   - एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक सामाचार पत्र एवं अखिल स्तरीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में RTPP नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई–मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com, पर भिजवाने का श्रम करें।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमाक / स्वा. / 2022 / 371 दिनांक 12/01/2022

((ए.आर.सी ई–निविदा सूचना 06 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp. rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल अनुमानित लागतः– 480.34 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वा. / 2022 / 372 दिनांक 12/01/2022

(ए.आर.सी ई–निविदा सूचना 06 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp. rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल अनुमानित लागतः– 480.34 लाख

1	निविदा कार्य	बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।
2	निविदा की कुल अनुमानित लागत	480.34 लाख
03	कार्य की कुल समय अवधि	01 वर्ष
3	ऑनलाईन निविदा फोर्म मिलने की तिथि	दिनांक 14/01/2022 को 9.30 बजे से 14/02/2022 तक
04	ऑनलाईन निविदा फोर्म जमा कराने की तिथि	दिनांक 14/01/2022 को 9.30 बजे से 14/02/2022 तक
05	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 17/02/2022 को दोपहर 3 बजे के बाद
06	ऑनलाईन वितिय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड में सफल फर्मो की ही वितीय बिड खोली जायेगी जिसके लिये अलग से सुचना दी जायेगी

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर
दिनांक 12/01/2022

क्रमांक / स्वा. / 2022 / 372–79
प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
3. जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
4. श्रीमान् उप महापौर, नगर निगम बीकानेर।
5. श्री उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
6. श्रीमान् मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
7. श्री कोषाधिकारी, बीकानेर।
8. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

कार्य का नाम– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तों अनुसार 80 वार्डों में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।

1. **पात्रता की शर्ते तकनीकी बिड :–** निविदा में भाग लेने वाली फर्मो की तकनीकी जॉच निम्न बिन्दुओ के आधार पर की जायेगी उक्त बिन्दुओ अनुसार सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

क्रं.सं	दस्तावेज का विवरण
01	निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस, 1000 रूपये भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सँवेदक को भुगतान के पश्चात रसीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
02.	निविदा बिड सिक्योरिटी राशि 9.61 लाख (कुल निविदा राशि का 2 प्रतिशत) का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
03.	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
04.	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
05.	गत वित्तीय 04 वर्षो (2017–18,2018–19,2019–2020,2020–21) एवं चालु वर्ष वितीय वर्ष 2021–22 में से किसी वर्ष मे सरकारी/अर्द्वसरकारी विभाग/नगरीय निकाय में कचरा संग्रहण या परिवहन का कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम में आयुक्त या उपायुक्त एवं अन्य विभाग में अधिशाषी अभियंता या अधिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। 1. कुल निविदा राशि का 60 प्रतिशत का एक कचरा संग्रहण या परिवहन का कार्य या एक से अधिक कचरा संग्रहण या परिवहन का कार्य किसी भी नगरीय निकाय/सरकारी संस्था/अर्द्ध सरकारी संस्था का अनुभव प्रमाण–पत्र।
06	फर्म का अंतिम 03 वर्ष का औसत टर्नऑवर निविदा राशि के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक होना चाहिए। फर्म को सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
07	फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र। (संलग्न प्रारूप 1)
08	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर मे कार्यरत नहीं होने का 100/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र (संलग्न प्रारूप 2)
09	निविदादाता द्वारा आरटीपीपी के ऐक्ट के सेक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र 100/– रू के स्टाम्प पर प्रतिलिपि। (संलग्न प्रारूप 3)
10	संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'अ' में अन्डर टेकिंग 100/– रू के स्टाम्प पर देनी होगी। (संलग्न प्रारूप 4)
11	निविदा की समस्त शर्तो के स्वीकार करने के लिये निविदा परिपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर निविदा परिपत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक निर्धारित मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज ई–निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने होगें। अपलोड किये गये दस्तावेजों के संबंध में निविदा समिति निविदादाता से स्पष्टिकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पष्टीकरण के लिये दी गई समयवधि मे प्रस्तुत नही करने पर निविदादाता को तकनीकी बिड के मुल्यांकन मे अयोग्य घोषित करते हुवे। उसकी वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी। उक्त निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। सभी स्टाम्प पृथक–पृथक होने चाहिए तथा एक स्टाम्प पर एक से अधिक घोषणा पाई जाती है तो निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

4

2. निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रो को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हे। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को विभाग की वेबसाईट www.bikanermc.org. एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
2. निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 1000 रूपये एवं बिड सिक्योरिटी राशि 9.60 लाख का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार आमंत्रित की गई है जिसमें प्रथम भाग तकनीकी बिड का होगा जिसमें तकनीकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिये निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से संबंधित प्रतियां ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी। जिसमें दर ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओ की वित्तीय बिड खोली जायेगी, जिसके लिये अलग से वित्तीय बिड खोलने की सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।
4. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेगें। नगर निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। दरे एफ एण्ड आर या सभी कर संहित होगी।
5. निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क वापिस नहीं किये जायेगें। बिड सिक्योरिटी सफल निविदादाता को कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
6. निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति कार्य स्थल की सामान्य जानकारी आदि का निरीक्षण या जानकारी कर लेने की सलहा दी जाती है इससे संबंधित व्यय निविदादात को व्यय करना होगा।
7. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम शर्तो को ध्यान में रखते हुवे वित्तीय प्रष्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड मे प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि में फिक्स रहेगी।
8. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
9. निविदा एवं कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम बीकानेर में कार्यालय में समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10. निविदा की अवधि 01 वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर निविदा किसी कारणवश नही होने पर नगर निगम आयुक्त कार्य की समयावधि 06 माह बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है।
11. कार्य संतोषजनक नही होने अथवा अन्य परिस्थितियों होने पर किसी भी समय नगर निगम बीकानेर निविदा निरस्त कर सकता हैं जिस पर कोई वाद मान्य नही होगा तथा न ही संवेदक को निविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
12. नगर निगम के द्वारा दर स्वीकृति पत्र देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएं 15 दिवस मे पूर्ण करनी होगी :–
    1. नियमानुसार अनुबंध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (राशि नियमानुसार) पर प्रस्तुत करना होगा। जिसका वहन आवेदक को करना होगा।
    2. निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेडयूल बैंक की बैक गारण्टी/शेडयूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Bikaner" के नाम बीकानेर में देय प्रस्तुत करनी होगी।
    3. नगर निगम बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
    4. प्रतिभूति राशि जब्त करने कि स्थिति में एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
    5. प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 180 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
13. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है। तो नगर निगम बीकानेर इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं बिड सिक्योरिटी राशि जब्त करते हुए आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2)को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
14. निविदादाता द्वारा कार्य नही करने पर रिस्क एंड कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवाया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य करवाये जाने पर अंतर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुवे आर.टी.पी.पी अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. निविदा संबंधित आर.टी.पी.पी अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013, जी.एफ. एंड ऐ.आर तथा वित्तीय विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होगें। किसी शर्ते की पालना नही करने पर निविदा शर्तो का उल्लघंन माना जायेगा।

16. सभी प्रकार के न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
17. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक को सभी निविदा प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
18. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशत समपहरण किया जा सकेगा।
   1. जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तो को भंग किया जाता है।
   2. जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
   3. जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नही करता है।
   4. प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
19. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि –
   1. निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नही रखता हो।
   2. निविदा के साथ धरोहर राशि/बिड सेक्युरिटी राशि जमा नहीं किया गया हो।
   3. जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
   4. क्रय समिति या आयुक्त बिना कारण बताये निविदा को निरस्त कर सकती है।
20. समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम बीकानेर उतरदायी नही होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई–प्रोक्योरमेंट/एस.पी.पी.पी. पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।
21. मांगे जाने पर तकनीकी स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
22. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नही किया जावेगा।
23. Joint Venture फर्म निविदा में भाग नही ले सकती है।
24. सफल निविदादाता द्वारा 01 वर्ष अथवा बढाई गई की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एंव किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के 02 माह पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
25. निविदा खोलेने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाऐ नही खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाये खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
26. निविदा दाता द्वारा प्रदत दरो में सभी व्यय व कर सम्मिलित किये जावेंगे, प्रदत दरे वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 120 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता हैं। तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
27. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार क्रय समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर को रहेगा। उक्त निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
28. इस निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का एकाधिकार निगम में निहित है। जिसका कारण बताने को निगम बाध्य नहीं है ।
29. निविदा में किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय नगर निगम बीकानेर का मान्य होगा। नियम एवं शर्तो में किये गये किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन का अधिकार आयुक्त के पास सुरक्षित होगा।
30. उक्त निविदा अनुबंध राज्य सरकार से विशेष निर्देश प्राप्त होने पर अनुवंध की अवधि को पूर्व में भी समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
31. निविदा से संबंधित किसी प्रकार की स्पष्टिकरण या सूचना की जानकारी के लिये पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :– नगर निगम कार्यालय, कीर्ति स्थभ के पास बीकानेर–334001,
    ई–मेल nagarnigambikaner@gmail.com मोबाईल नं0 0151–2226906, 0151–2226902

3. वाहन व वाहन चालकों, हेल्पर के संबंध में निविदादाता को दिशा–निर्देश :–

1. बीकानेर नगर निगम क्षेत्र से कचरा परिवहन हेतु 45 ट्रेक्टर ट्रॉली (हाइड्रोलिक अच्छी कण्डीशन में हो तथा मेक 2016 या उसके बाद का ही होना चाहिए), चालक, 2 श्रमिक, 4 ट्रीप कार्य हेतु प्रतिदिन आपूर्ति के लिए कार्यादेश जारी होने से 01 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबंध पर उपलब्ध करवानें होगें तथा आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या एवं ट्रीप में वृद्धि व कमी की जा सकेगी।
2. ट्रैक्टर ट्रॉलियों के रजिस्ट्रेशन/बीमा/वाहन चालक लाईसेंस तथा ट्रेक्टर ट्रॉलियों का कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग द्वारा किया जाना अनिवार्य है एवं कम से कम 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियो का रजिस्ट्रेशन फर्म के नाम से होना चाहिए। अन्य ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रजिस्ट्रेशन जिस व्यक्ति के नाम से है उसके साथ फर्म का अनुबंध होना चाहिए तथा संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि कार्य शुरू करने से पूर्व प्रस्तुत करानी अनिवार्य होगी।
3. फर्म द्वारा कम से कम प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक एवं 01 वाहन चालक प्रत्येक ट्रैक्टर पर उपस्थित होना चाहिए।

4. प्रत्येक ट्रेक्टर ट्रॉली से 4 ट्रीप कार्य करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वार्ड में 2 ट्रीप करने के लिये बाध्य होगा।
5. सफल निविदादाता को ट्रैक्टर–ट्रॉली आपूर्ति कार्य शुरू करने के पूर्व निर्धारित ट्रैक्टरो के रजिस्ट्रेशन पत्र, बीमा, वाहन चालक के लाईसेंस सहित भौत्तिक सत्यापन करवाना होगा। भौत्तिक सत्यापन संबधित स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अभियंता (गैराज) एवं उपायुक्त या आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार किया जावेगा।
6. सफल निविदादाता को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर निगम कार्यालय से प्रति ट्रैक्टर अलग–अलग लॉग बुक क्रय करनी होगी, प्रतिदिन किये गये कार्य का संबधित लॉग बुक में अंकन एवं प्रमाणिकरण करवाना होगा।
7. कार्य में आवश्यकता के अनुसार श्रमिको को संसाधन संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
8. वाहन चालक अनुभवी/प्रशिक्षित एवं संबंधि श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चाहिए। सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, पी.यू.सी., रोड़ टैक्स, वाहन चालक का लाईसेन्स आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को चालक एवं श्रमिको का उपयुक्त बीमा/इन्शोरेन्स कराना होगा ताकि श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। इस संबंध में सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ट्रैक्टर–ट्रॉली का बीमा, रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
9. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. या अन्य कोई राशि नगर निगम की और से देय नहीं होगा।
10. संवेदक द्वारा वाहन चालकों/श्रमिको को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों एवं श्रमिको की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम बीकानेर उत्तरदायी नही होगा।
11. प्रत्येक वाहन चालक एवं हेल्पर वर्दी धारण करेगा जिस पर फर्म का नाम लिखा होगा। इसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
12. वाहनों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
13. ट्रेक्टर ट्रोली मय चालक एवं मजदूरों पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय जैसे डीजल, पेट्रोल, टूट–फूट मरम्मत चालक व मजदूरों के वेतन भत्ते व अन्य सभी प्रकार के खर्चो की जिम्मेवारी निविदादाता को वहन करनी होगी।
14. संवेदक द्वारा सभी ट्रोलीयों नीला रंग की उपलब्ध करवाई जायेगी। जिन पर फर्म का नाम एवं "नगर निगम से अनुबंधित एवं वार्ड संख्या" आदि लिखना होगा।
15. कार्य की मॉनिटरिंग हेतु फर्म द्वारा 02 सुपरवाईजर लगाने होगें।
16. **मशीन/ट्रैक्टर–ट्रॉली/वाहन चालकों एवं हेल्पर का विवरण :–**
    (क) निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वास्थ्य शाखा को प्रस्तुत करनी होगी।

क्र0 सं0	वाहन चालक का नाम व पता, मोबाईल नं0	वाहन चलाने का ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर	लाईसेंस की वैधता दिनांक
01			
02			

क्र0 सं0	हेल्पर का नाम व पता, मोबाईल नं0	आधार कार्ड का नम्बर
01		
02		

17. वाहनों की उपलब्धता संबंधित विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।
    (ब) उपलब्ध वाहनों का विवरण :–

क्र0 सं0	ट्रैक्टर–ट्रॉली मेक	हॉर्स पावर	पंजीकृत वाहन का रजिस्ट्रेशन नं	वाहन मॉडल वर्ष	वाहन मालिका का नाम
01					
02					

4

H.O.

4. तकनीकी विवरण :–

1. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले ट्रैक्टर वर्ष 2016 या 2016 के बाद के मॉडल होना चाहिए।
2. ट्रैक्टर का इंजन पावर न्यूनतम 25 एच.पी. या 25 एच.पी. से अधिक होना आवश्यक है।
3. उक्त समस्त वाहन तकनीकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होने चाहिए। जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
4. ट्रॉली की क्षमता (Volumetric Capacity) न्यूनतम 100 Cubic Feet होना आवश्यक है।
5. वाहनों के सभी सपेयर पार्टस, उपसाधन, टायर टयूब, बैटरिया, डीजल, ऑयल, ल्युबिकेन्टस, पार्टस मरम्मत चालक एवं वाहनों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होगें।
6. यातायात के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।
7. उपलब्ध करवाये गये वाहन तकनीकी स्तर पर आधारभूत शर्तो से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनीकी रूप से आधारभूत शर्तो के अनुसार ही माना जायेगा।
8. निविदा दाता द्वारा स्वयं के स्तर पर जीपीएस सिस्टम को ट्रेकिंग/जानकारी हेतु निगम परिसर में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लगवाना अनिवार्य होगा तथा प्रतिमाह के बिल के साथ प्रति ट्रेक्टर समय ट्रेकिंग चार्ट की सॉफ्ट कॉपी पैनड्राईव में प्रस्तुत करनी होगी। जिसके व्यय की जिम्मेवारी निविदादाता की ही होगी।
9. निविदादाता को अपने स्वयं के खर्चे पर प्रत्येक ट्रेक्टर पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक माह पैनड्राईव में प्रस्तुत करनी होगी। लगाये गये जीपीएस सिस्टम मोबाईल ऐप भी होना चाहिए।
10. संवेदक को शिकायत नम्बर भी देना होगा। जिस पर ट्रैक्टर–ट्रॉली की शिकायत या अन्य किसी कार्य हेतु आमजनता सम्पर्क कर सकें। इस हेतु फर्म द्वारा शिकायत एवं निस्तारण रजिस्टर में संधारित करना होगा।

5. दुर्घटना :–

1. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवायें गयें ट्रैक्टर की मौके पर कार्य करते हुए या अन्य स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा। निविदा दाता पर श्रम कानून के सभी नियम लागू होगे।
2. कार्य करते समय ट्रेक्टर मय ट्रोली, चालक एवं श्रमिकों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगी। समस्त उत्तरदायित्व का भरण निविदादाता का ही होगा।
3. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगों के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा योग्य देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
4. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट–फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
5. दुर्घटना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने व अन्य किसी भी तरह का टूट–फूट होने पर संवेदक अविलम्ब दुसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।
6. उक्त कार्य में लगे सभी श्रमिकों के बीमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
7. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर तथा श्रमिक की मृत्यू होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

6. वाहन चालकों एवं हेल्पर के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक को होगा।
2. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार वाहन चालकों को मजदूर के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
3. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त वाहन चालकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।

H.O.

5. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवना आदि देने का समस्त उतरदायित्व संवेदक का होगा।

6. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस. आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये नगर निगम बीकानेर की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

7. निविदा की अन्य शर्तेः– सफल निविदादाता को कार्य के दौरान निम्न शर्तो की पालना करनी होगी।

1. नगर निगम द्वारा बीकानेर के 80 वार्डो हेतु 40 ट्रैक्टर–ट्रॉली एवं मुख्य मार्गो हेतु 05 ट्रैक्टर–ट्रॉली के अनुसार कुल 45 में वाहन चालक 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि की आवश्यकता रहेगी। जिसे बाद में आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है।
2. अगले महिने की लॉगबुक 25 से 30/31 तारीख तक जारी करवानी होगी।
3. कचरा परिवहन के दौरान वाहन की डाले को बंद रखना होगा।
4. निगम द्वारा फर्म को अतिरिक्त कार्य के लिए आदेशित करने पर कार्य करने के लिए मना नहीं किया जावेगा।
5. निविदा दाता द्वारा हाइड्रोलिक ट्रेक्टर ट्रोली द्वारा नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उठाया गया कचरा निर्धारित कचरा संग्रहण केन्द्र पर डालना अनिवार्य होगा। नगर निगम अधिकारीगण के लिखित/मौखिक आदेशानुसार कचरा निर्धारित कचरा संग्रहण केन्द के अतिरिक्त अन्य स्थान डाला जा सकता है। बिना अधिकारीगण के निर्देशानुसार यदि निर्धारित कचरा संग्रहण केन्द्र के अतिरिक्त अन्यत्र शहर के किसी भी स्थान पर कचरा डालने या डालते हुए पायें जाने पर किसी व्यक्ति एवं माध्यम के द्वारा प्रमाणित कर दिये जाने पर जुर्माना लगाया जायेगा। इस जुर्माने की राशी की कटौती सवेदक के बिलो में से काट ली जावेगी।
6. निविदा दाता द्वारा कार्य कार्यालय द्वारा निर्धारित समय में करना होगा। समय में परिवर्तन आपसी बातचीत से आयुक्त के निर्देश से किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर दिन–रात में 24 घंटे निगम कभी भी कार्य हेतु बुलाने पर निविदा दाता को कर्मचारियों एवं ट्रेक्टर ट्रोली मय वाहन चालक उपलब्ध करवायी जाकर व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। बाढ आपदा प्राकृतिक घटना घटित होने पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन व भ्रमण पर एवं अतिआवश्यक परिस्थितियों पर इन शर्तो के आधार पर 24 घण्टे कार्य करना होगा।
7. सभी श्रमिकों को मास्क, गल्बस उपलब्ध करवाने होगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
8. यदि सफल निविदा दाता ट्रेक्टर ट्रोली मय चालक एवं श्रमिक सहित वाहन उपलब्ध करानें में असफल होता है तो निगम अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगी एवं की गई व्यवस्था पर अधिक भुगतान की गई राशि रिस्क एण्ड कॉस्ट द्वारा निविदा दाता के बकाया बिलों एवं सफल निविदा दाता की अन्य सम्पति से वसूल की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त निविदा दाता की धरोहर राशि भी जब्त की जावेगी।
9. कार्यादेश प्राप्ति होने के 15 दिवस के भीतर निविदादाता को शर्तो के अनुसार ट्रेक्टर ट्रोली मय चालक एवं श्रमिक उपलब्ध करवानें होगें।
10. विशेष परिस्थितियों में अतिक्रमण हटवायें जाने तथा अन्य कार्य के दौरान लगाये जाने वाले ट्रैक्टर–ट्रोलियों की पर्ची संबंधित स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी से ली जानी अनिवार्य होगी।
11. सफल निविदादाता को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो/आदेशो एवं ठोस कचरा प्रबंधन के नियमो का पालन करना होगां। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी कर संवेदक को चुकाने होंगे।
12. कार्य का निरीक्षण किसी भी समय निगम के महापौर/आयुक्त/उपायुक्तगण/लेखाधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।
13. नगर निगम द्वारा अन्य किसी भी कार्य हेतु ट्रेक्टर मय ट्रॉली की आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा। जिसका भुगतान तत्कालीन बाजार दर अनुसार कमेटी जिसमें आयुक्त, उपायुक्त, मुख्य लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा निर्धारण अनुसार किया जायेगा।
14. निविदा एवं निविदा शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा ।
15. संवेदक को सभी ड्राईवर एवं हैल्पर के लिये एक ड्रैस कोड निर्धारित करना होगा एवं ड्रैस पर कम्पनी/फर्म का नाम भी लिखना होगा। समस्त ड्राईवर एवं हैल्पर कार्य के दौरान निर्धारित ड्रैस में उपस्थित रहेगें।
16. संवेदक को महिने में 26 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पडने पर महिने में 30 दिन भी कार्य करना होगा।
17. वार्ड/सर्किल में कार्य के दौरान किसी भी निजी एवं सरकारी सम्पति को ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण हुयी क्षति को स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा।
18. निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति नही किये जाने पर प्रति ट्रैक्टर प्रतिदिन के हिसाब से पेनेल्टी लगायी जावेगी, जिसकी वसूली संवेदक के प्रस्तुत बिल से की जायेगी। निगम द्वारा प्रतिदिन प्रति ट्रैक्टर कार्य निर्धारित

होगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में, त्यौहार, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य किसी आवश्यकता की स्थिति में यदि निगम द्वारा प्रतिदिन प्रति ट्रैक्टर अधिक कार्य करने हेतु आदेशित किये जाने पर आदेशानुसार कार्य करना होगा। जिसका अतिरिक्त भुगतान आनुपातिक दर पर देय होगा। निर्धारित/आदेशानुसार मात्रा में ट्रेक्टर ट्रॉली उपलब्ध नहीं करवाये जाते है तो संवेदक के विरूद्व शास्ति आरोपित की जावेगी, जिसके लिए फर्म को नोटिस देने की आवश्यकता नही होगी। उक्त शास्ति फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों में कटौति की जावेगी एवं अंतिम एक मान्य होगी।

19. निविदादाता के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ट्रैक्टरो से शहरी क्षेत्र से उठाये गये कचरे को तिरपाल से ढक्कर कर मार्गो से परिवहन करना होगा, साथ ही कचरा संग्रहण केन्द्र पर स्थापित कचरा संग्रहण केन्द्र के आगे आकर तिरपाल हटाना होगा।
20. आवश्यक होने पर अवकाश के दिन भी वाहन को कार्य हेतु बुलाया जायेगा। जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकता। त्यौहार/उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में कभी भी वाहन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।
21. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिऐ मान्य होगी। जिसे निविदा अवधि समाप्त होने पर 06 माह आयुक्त महोदय नगर नगम बीकानेर द्वारा एवं विशेष परिस्थिति मे या आगामी निविदा सम्पन्न नही होने की स्थिति में आपसी सहमति से 06 माह और बढाई जा सकेगी। इस संबंध में निगम को पूर्ण अधिकार होगा। इसके लिए संवेदक बाध्य होगा।
22. निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

8. **निविदा प्रपत्र में संशोधन :–**
   1. नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
   2. संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा एवं राज्य सरकार व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई आदेश/निर्देश भी इस निविदा का भाग माना जावेगा।
9. **कार्यविधि,कार्य क्षेत्र की सीमा :–**
   1. सामान्यतया वाहनों से सफाई कार्य का संचालन हेतु 04 ट्रीप का कार्य (प्रत्येक वार्ड में 02 ट्रीप) नगर निगम बीकानेर क्षेत्र के वार्ड नं0 01 से 80 में प्रातः 07 बजे से सांय 07 बजे की अवधि के लिए किया जायेगा। उक्त कार्य की समयावधि बीकानेर शहर की यातायात व्यवस्था के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आपातकालीन/अन्य परिस्थितियों में वाहन किसी भी समय नगर निगम बीकानेर क्षेत्र में किसी भी सर्किल में सर्किल के स्वच्छता निरीक्षक को उपलब्ध करवाने होगें। इस स्थिति में आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार उपयोग में लेने वाले अधिकारी से लॉगबुक प्रमाणित करवानी होगी। अतिक्रमण अभियान/आपातकालीन स्थिति में/मानसुन के दौरान आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर मय चालक व ट्रैक्टर ट्रॉली मय ड्राईवर उपलब्ध करवाने होगें जिनका भुगतान इन वाहनों के उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा लॉगबुक में प्रमाणीकरण के आधार पर किया जायेगा।
   2. कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर नगर निगम के निर्धारित डम्पिंग यार्ड पर डाला जायेगा। जिसकी दूरी बीकानेर शहर के केन्द्र बिन्दु से 06 से 07 किलो मीटर है।
   3. आवश्यकता होने पर आयुक्त/उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार (लिखित या मौखिक) एक दिन में निर्धारित ट्रीप से अधिक ट्रीप भी करवाई जा सकती है आवश्यकता होने पर रात्रिकालीन/अवकाश के दिन भी कार्य करवाया जा सकता है।
   4. संवेदक द्वारा नगर निगम के 80 वार्डो में निम्न प्रकार के कचरे को संग्रहित कर निर्धारित डम्पिंग यार्ड पर पहुँचाना होगा।
      1. सफाई कर्मचारीयों द्वारा रोड़ पर बनाई गई सभी छोटी–छोटी कचरे की ढेरिया।
      2. सफाई कर्मचारीयों द्वारा बनाई गई मिट्टी, सिल्ट की ढेरिया।
      3. छोटी नालियों से निकाली गई सिल्ट।
      4. कचरा संग्रहण केन्द्र जहां मिट्टी, सेंड–सिल्ट, गोबर की मात्रा अधिक है।
      5. मैन रोड़ एवं हाईवे पर सफाई कर्मचारीयों द्वारा बनाई गई मिट्टी की ढेरिया।
      6. बड़े डस्टबिन जिनमें गोबर, सिल्ट भरा हुआ है।
      7. आवश्यकता पड़ने पर बिल्डिंग की टुट–फुट का कचरा लेकिन अलग से निर्देश मिलने पर।
      8. अतिक्रमण तोड़ने के समय निकलने वाला कचरा लेकिन अलग से निर्देश मिलने पर।
      9. बड़े नालों से निकलने वाली सिल्ट लेकिन अलग से निर्देश मिलने पर।

नोट :– ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से निम्न प्रकार का कचरा नहीं उठाया जायेगा।
1. घरो से निकलने वाला गीला एवं सूखा कचरा।
2. कचरा संग्रहण केन्द्र बड़े जहां घरों से निकलने वाले सूखे एवं गीले कचरे की मात्रा अधिक है।
3. कचरे संग्रहण केन्द्र छोटे जहां घरों से निकलने वाले सूखे एवं गीले कचरे की मात्रा अधिक है।

H.O.

भुगतान प्रक्रिया :–

1. प्रत्येक माह का बिल सर्किल के स्वच्छता निरीक्षक द्वारा लॉग बुक मय हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण एवं डम्पिंग यार्ड पर दी जाने वाली ट्रीप की रसीद, मासिक रिपोर्ट उपरान्त जीपीएस रिपोर्ट के साथ स्वास्थ्य अधिकारी को आगामी 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
2. स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अभियंता एस.वी.एम / प्रभारी एस.बी.एम. द्वारा बिल एवं जीपीएस रिपोर्ट का सत्यापन / प्रमाणिकरण करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।
3. संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कर्मचारीयो की भविष्यनिधि एवं कर्मचारी राज्यबीमा अंशदान (अगर लागू हो) कि राशि से संबंधित विभाग में जमा करवाने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

11. शास्ति प्रावधान

क्र. सं.	शास्ति का विवरण	शास्ति राशि
01	सम्पूर्ण बीकानेर क्षेत्र में बिना किसी कारण कचरा परिवहन कार्य बंद रखने पर	200000 / – रू प्रतिदिन
02	कार्यादेश अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली आपुर्ति नही करने पर	5000 / – रू प्रतिदिन प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली
03	विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त कार्य के लिये आदेशित करने पर नहीं किये जाने पर	5000 / – रू प्रति ट्रीप
04	ट्रैक्टर ट्रॉली खराब होने की स्थिति में किसी वार्डो में 24 घण्टे के बाद भी कचरा परिवहन नही करने पर	5000 / – रू प्रतिदिन / प्रति वार्ड
05	सम्पूर्ण वार्ड मे बिना किसी कारण 01 ट्रीप भी नहीं करने पर	5000 / – रू प्रतिवार्ड प्रतिदिन
06	फर्म द्वारा समय पर कार्य नही करने पर	2000 / – रू प्रतिदिन प्रतिट्रिप
07	ट्रैक्टर ट्रॉली पर जीपीएस सिस्टम नही लगा होने पर	2000 / – रू प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन
08	नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर कचरा नहीं डालने पर	2000 / – रू प्रति ट्रीप
09	प्रत्येक वार्ड में 02 ट्रीप से कम ट्रीप करने पर	1500 / – रू प्रति ट्रीप
10	जीपीएस सिस्टम खराब होने पर	1500 / – रू प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन
11	ट्रैक्टर ट्रॉली पर श्रमिक कम मिलने पर	1000 / – रू प्रति श्रमिक प्रतिदिन
12	ट्रैक्टर ट्रॉली को तिरपाल से ढककर नहीं ले जाने पर	1000 / – रू प्रति ट्रीप
13	जीपीएस की मॉनिटरिंग हेतु कम्पयूटर सिस्टम, प्रिंटर नहीं लगाने पर	1000 / – रू प्रतिदिन
14	परिवहन के समय कचरा ट्रैक्टर ट्रॉली से रोड़ पर फैलने पर / डाला खुला होने पर	1000 / – रू प्रति घटना
15	ड्राईवर एवं हैल्पर की किसी के साथ दुर्व्यवहार या अपशब्द कहने की घटना की पुष्टि होने पर	1000 / – रू प्रति घटना
16	कचरा परिवहन के समय ट्रॉली का डाला खुले होने पर	1000 / – रू प्रति ट्रीप
17	ड्राईवर एवं हैल्पर निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं होने पर	500 / – रू प्रति हेल्पर / ड्राईवर प्रतिदिन
18	ट्रैक्टर ट्रॉली पर नगर निगम से अनुवंधित लिखा नही होने पर	500 / – रू प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन
19	सभी ट्रॉली समान नीला रंग नही मिलने पर	500 / – रू प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन
20	अगले माह की लॉगबुक 25 से 30 / 31 तारीख तक जारी नहीं करवाने पर	500 / – रू प्रति लॉगबुक

12. **निविदा का द्वितीय भाग वितीय बिड** :– तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओ की वित्तीय बिड खोली जायेगी. निविदादाता निम्न प्रपत्र में ऑनलाईन दर प्रस्ताव देना होगा एवं दरे सभी करों सहित एवं अन्य खर्चो, व्यय सहित भरनी होगी। सम्पूर्ण अनुबंध अवधि में दरे अपरिवर्तन रहेगी।

दर प्रस्ताव प्रपत्रः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रति ट्रिप दर(सभी करो सहित)
1	बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलवा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।	

Y
H.O.

नोट :– यदि किसी एक से अधिक निविदादाता द्वारा दरें समान प्रस्तुत किये जाने पर उपापन संस्था को गुणा व गुण के आधार पर सफल निविदादाता का चयन करने का पूर्ण अधिकार है तथा उपापन संस्था द्वारा चयनित सफल निविदादाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बीकानेर	यंत्रालय प्रभारी बीकानेर नगर निगम	उप विधि परामर्शी बीकानेर नगर निगम	मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम	उपायुक्त बीकानेर नगर निगम

- निविदा प्रपत्र पढ़ एवं समझ लिया है इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर सील लगाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा मैं अपनी दर ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का पत्राचार हेतु पता, ई–मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर अंकित करें.....................................

....

....

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट

क्र0 सं0	दस्तावेज का विवरण	संलग्न है या नही
01	निविदा शुल्क 1000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस जयपुर, 1000 रूपये भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।	
02	निविदा बिड सिक्योरिटी राशि 9.60 लाख (कुल निविदा राशि का 2 प्रतिशत) का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।	
03	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
04	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
05	गत वित्तीय 04 वर्षो (2017–18,2018–19,2019–2020,2020–21) एवं चालु वर्ष वितीय वर्ष 2021–22 में से किसी वर्ष में सरकारी/अर्द्वसरकारी विभाग/नगरीय निकाय में कचरा संग्रहण या परिवहन का कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम में आयुक्त या उपायुक्त एवं अन्य विभाग में अधिशाषी अभिंयता या अधिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। 1. कुल निविदा राशि का 60 प्रतिशत का एक कचरा संग्रहण या परिवहन का कार्य या एक से अधिक कचरा संग्रहण या परिवहन का कार्य किसी भी नगरीय निकाय/सरकारी संस्था/अर्द्ध सरकारी संस्था का अनुभव प्रमाण–पत्र।	
06	फर्म का अंतिम 03 वर्ष का औसम टर्नऑवर निविदा राशि के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक होना चाहिए। फर्म को सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
07	फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र। (संलग्न प्रारूप 1)	
08	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र (संलग्न प्रारूप 2)	
09	निविदादाता द्वारा आरटीपीपी के ऐक्ट के सेंक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र 100/– रू के स्टाम्प पर प्रतिलिपि। (संलग्न प्रारूप 3)	
10	संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'अ' में अन्डर टेकिंग 100/– रू के स्टाम्प पर देनी होगी। (संलग्न प्रारूप 4)	
11	निविदा की समस्त शर्तो के स्वीकार करने के लिये निविदा परिपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं सिल लगाकर निविदा परिपत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना।	

नोट :– सभी घोषणा पृथक–पृथक स्टाम्प पर ही मान्य होगी।

दिनांक ....

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

परिपत्र 1

ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से कचरा परिवहन कार्य की मासिक रिपोर्ट

फर्म का नाम .... माह...........................

ट्रैक्टर ट्रॉली का रजिस्टेशन नं0 ....

क्र. सं.	दिनांक	निर्धारित ट्रीप	किये गये ट्रीप	प्रति ट्रीप राशि	कुल राशि	शास्ति राशि	शास्ति का विवरण

फर्म के प्रतिनिधि व्यक्ति का नाम
हस्ताक्षर

स्वच्छता निरीक्षक का नाम
हस्ताक्षर

स्वास्थ्य अधिकारी
मय हस्ताक्षर

प्रारूप 1

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।

मैं... एवं मेरी फर्म.. यह घोषणा करते है कि पिछले 05 साल में फर्म किसी भी सरकारी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्था/विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं है। यदि यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

मय हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म का नाम

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 02 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।

मैं.. एवं मेरी फर्म.. यह घोषणा करते है कि नगर निगम बीकानेर मे कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

मय हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म का नाम

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

Declaration by the Bidde in Compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder

In relation to our bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation bikaner for Procurement of Tender to provide Tractor trolly with driver,helper, POL and operation & mainteance for sanitation work and other work of municipal corporation for One years in response to their notice Inviting Bids No .... Dated .... We hereb Declare under section 7 & 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the bidding document issued by the procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the central government or the state government or any local authority, as specified in the bidding document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence rclated to our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to our qualifiactions to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant of debarment proceeding;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in public procurement Act, the Rajasthan Transparency in public procurement Rules and this Bidding Document, Which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the code of integrity as specified in the Rajasthan Transparency in public Procurement Act, the Rajasthan Transpanerncy in public procurement rules and this bidding document, till Completion of all our obligation under the contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

कार्यालय नगर निगम बीकानेर

—: अण्डर टेकिंग :—

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियों सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा कार्य प्रतिभूति राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमारे कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 120 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र में अगर नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इन वाहनों से संबंधित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किया जायेगें।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि स्वयं के नाम ट्रैक्टर/ट्रैक्टर ट्रॉली के अतिरिक्त और कार्य की आवश्यकतानुसार फर्म के नाम से ही अनुबंधित करवाकर वाहन की मांग होने पर व्यक्ति/फर्म से लेकर ट्रैक्टर/ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब्ध करा देगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि कार्य प्रतिभूति राशि का कार्य संतोष जनक समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश की निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देतें है।

महामारी में बजट में फर्म रिस्क एंड कॉस्ट निविदा होने पर मेरे द्वारा भुगतान किया जायेगा या नगर निगम स्वतंत्र है।

दिनांक ....

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील